



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28052020-219623
CG-DL-E-28052020-219623

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 28, 2020/ज्येष्ठ 7, 1942

No. 252]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 28, 2020/JYAISHTHA 7, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2020

आयकर

सा.का.नि. 329(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 285 खख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2020 है।
(2) ये 1 जून, 2020 से प्रवृत्त होंगे।
2. आय-कर नियम, 1962 में,-
(I) नियम 31कख का लोप किया जाएगा ;
(II) नियम 114ज के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“वार्षिक सूचना विवरण

114-झ (1) आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महा निदेशक (प्रणाली) या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 285खख के अधीन, निर्धारिती के रजिस्ट्रीकृत खाते में प्ररूप सं. 26कध में, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सूचना अंतर्विष्ट करते हुए ऐसा वार्षिक सूचना विवरण, जो उसके कब्जे में है उस मास के अंत से, जिसमें उसके द्वारा सूचना प्राप्त की जाती है, तीन मास के भीतर अपलोड करेगा, :

सारणी

क्रम सं.	सूचना की प्रकृति
(1)	(2)
(i)	स्रोत पर कर की कटौती या संग्रहण से संबंधित सूचना
(ii)	विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार से संबंधित सूचना
(iii)	कर संदाय से संबंधित सूचना
(iv)	मांग और प्रतिदाय से संबंधित सूचना
(v)	लंबित कार्यवाहियों से संबंधित सूचना
(vi)	संपूर्ण कार्यवाहियों से संबंधित सूचना

(2) बोर्ड, आय-कर प्रधान महा निदेशक (प्रणाली) या आय-कर महा निदेशक (प्रणाली) या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को भी, किसी अधिकारी, प्राधिकारी या किसी विधि के अधीन किसी कृत्य का पालन करने वाले किसी निकाय से प्राप्त सूचना को या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन प्राप्त सूचना को या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त किसी सूचना को, उस विस्तार तक, जहां तक वह, उसे उप नियम (1) में निर्दिष्ट वार्षिक सूचना विवरण में राजस्व के हित में ठीक समझे, अपलोड करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) आय-कर प्रधान महा निदेशक (प्रणाली) या आय-कर महा निदेशक (प्रणाली), उप नियम (1) में निर्दिष्ट वार्षिक सूचना विवरण अपलोड करने के प्रयोजनों के लिए प्रक्रियाएं, रूप विधान और मानक विनिर्दिष्ट करेगा।

(III) परिशिष्ट 2 के प्ररूप 26कध के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

प्ररूप 26कध	वार्षिक सूचना विवरण (नियम 114-झ देखें)	वित्तीय वर्ष XXXX-XX
		निर्धारण वर्ष XXXX-XX

भाग क

स्थायी खाता संख्यांक :		आधार संख्या	
नाम :			
जन्म/निगमन की तारीख:			
मोबाइल नं. :			
ईमेल पता:			
पता:			

भाग ख

क्रम सं.	सूचना की प्रकृति
(1)	(2)
(1)	स्रोत पर कर की कटौती या संग्रहण से संबंधित सूचना
(2)	विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार से संबंधित सूचना
(3)	कर संदाय से संबंधित सूचना
(4)	मांग और प्रतिदाय से संबंधित सूचना

(5)	लंबित कार्यवाहियों से संबंधित सूचना
(6)	संपूर्ण कार्यवाहियों से संबंधित सूचना
(7)	नियम 114-अ के उपनियम (2) के संबंध में कोई अन्य सूचना

[अधिसूचना सं. 30/2020/फा.सं. 370142/20/2020-टीपीएल]

अंकुर गोयल, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 315(अ), तारीख 27 मई, 2020 द्वारा आय-कर (दसवां संशोधन) नियम, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।